BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 11 सितम्बर 2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर 03 हत्यारोपियों को आजीवन सश्रम कारावास व 50-50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. अजब सिंह पुत्र रघुवर निवासी ग्राम निजामपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर, 2. जौनी उर्फ देवेन्द्र पुत्र महेश, 3. ललित पुत्र देवपाल निवासीगण हीरा कॉलोनी थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2016 में अनिल कुमार निवासी ग्राम फरीदपुर थाना सिकन्द्राबाद की गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 06.01.2016 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 10/16 धारा-302,120बी भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 28.02.2016 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 11.09.2023 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-04, बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. अजब सिंह, 2. जौनी उर्फ देवेन्द्र, 3. ललित को सश्रम आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री चन्द्रभान सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर